शिव चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य एवं नियमावली

1. स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये संस्थायें भारतीय संघ में किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेंगी, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जायेगी।

2. शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकी पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्धन करना एवं सहयोग प्रदान करना।

3. नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय वाणिज्यिक, औद्योगिक, तकनीकी, व्यवसायिक एवं अन्य सभी, प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना तथा उनका समुचित प्रबन्ध करना।

4. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थायें, स्कूल, कॉलेज आदि संचालित करना एवं उनका प्रबन्धन करना।

5. छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक–प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका उचित प्रबन्धन करना।

6. प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आनेवाले सभी प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु सामग्री की व्यवस्था करना।

7. स्कूली बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरणादायक प्रसंगों से अवगत कराने एवं उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषणों, मालाओं, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, सेमिनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं, अध्ययन एवं शोध कार्यों, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, ऑडियो–विडियो, सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।

8. जन सामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्युजियम व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनोपयोगी पठन पाठन व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।

9. प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियॉ, पारितोषक एवं निःशुल्क पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना एवं उनको विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान–अनुदान सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कम्पनियों, फर्मों, सोसाइटियों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्त्तों पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूँजी निवेश प्राप्त करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूँजी निवेश करना।

11. समय–समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री जैसे भोजन, कपड़े, दवायें, अस्थायी एवं स्थायी भवन आदि उपलब्ध कराना।

12. विकलांगों, अंग–भंग व शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की वांछित सहायता उपलब्ध कराना।

क्रमशः ...2

13. गरीब वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम चलाना एवं उनकी पुत्रियों की शादियों मं आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

14. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना एवं अनुत्पादक भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजनाएँ चलाना।

15. धमार्थ, अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केन्द्र, वृद्धावस्था–आवासगृहों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

16. छात्रावासों एवं बोर्डिंग हाउसों की स्थापना करना व नौजवानों के शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदानों का निर्माण करना तथा उन्हें खेल–कूद, व्यायाम हेतु आवश्यक उपकरण व सामाग्री उपलब्ध कराना।

17. जन सामान्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।

18. लघु उद्योगों एवं हस्त शिल्प कलाओं को विकसित करना।

19. गरीब वर्ग एवं जनता की सुविधा के लिए विवाह भवनों की देश के किसी भी भाग में स्थापना करना।

20. समाज के अक्षम व्यक्तियों/परिवारों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार आवास, भोजन सामग्री एवं वस्त्र इत्यादि निःशुल्क अथवा नॉमिनल मूल्य पर उपलब्ध कराना।

21. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहित करना, बन्धक करना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कब्ज़ा करना।

22. सामाजिक/सांस्कृतिक उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वों व महापुरूषों की जयन्ती आदि कार्यक्रम को आयोजित करना एवं उनके आयोजन में सहयोग करना। यदि ट्रस्ट अथवा उसके ट्रस्टीगण द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा परियोजना को अंशदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो इस कार्य को भी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जायेगा।

23. ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एवं कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय/विश्राम गृहों आदि की स्थापना करना।